

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

भोपाल, दिनांक 01 मार्च 2007

आदेश

03

एफ 5/11/06/10-3:: राज्य शासन ऐतद द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अनुभूति प्राप्त करने के लिए वन विभाग में प्राप्त प्रस्तावों की स्वीकृति में प्रगति की समीक्षा करने के लिए निम्नानुसार समिति का गठन संभाग स्तर पर करता है :-

- (1) संभाग आयुक्त - अध्यक्ष
- (2) संभाग के अन्तर्गत समस्त क्षेत्रीय वन संरक्षक - सदस्य
- (3) संभाग के अन्तर्गत समस्त क्षेत्रीय वन मंडलाधिकारी - सदस्य

2 संभाग आयुक्त के मुख्यालय में मुख्यालय रखने वाले क्षेत्रीय वन संरक्षक समिति के संयोजक होंगे।

3 समिति अपनी बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी आवश्यकता अनुसार आमंत्रित करेगी।

4 समिति के निम्न कर्तव्य होंगे:-

(क) वन विभाग में वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त समस्त आवेदनों की समीक्षा करना तथा यदि किसी विभाग से जानकारी अपेक्षित हो तो उनकी जानकारी प्रदाय करने के लिए आवश्यक निर्देश देना।

(ख) वन मण्डल स्तर पर लम्बित प्रकरणों की समीक्षा।

5 समिति की बैठक माह में एक बार होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
तथा आदेशानुसार

मुख्य वन संरक्षक (सू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

सचिव,
पुरवार

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल, दिनांक: 01 मार्च 2007

सू.क.एफ 5/11/06/10-3
प्रतिलिपि-

1. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन
3. समस्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश



2=2
7.131.7

दिनांक.....

36